पांच रुपये FIVE RUPEES FIVE RUPEES

256

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक: । २०१६ विविध

विविध-0801/2019/मुरैना/भू०रा०

श्री (सक्रा) ० के० कराके की
19-7-19 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 8-8-19 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 19-7-19
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

१- महिला श्रीमती ऊषा पत्नी वीरेन्द्र
२- संजय पुत्र वीरेन्द्र,
३- प्रमोद उर्फ छोटू पुत्र वीरेन्द्र
समस्त निवासीगण- ग्राम हड़वांसी, तहसील-जौरा जिला मुरैना (मध्यप्रदेश)
४- श्रीमती ज्योति पुत्री वीरेन्द्र पत्नी राधारमन उर्फ भैरों, निवासिन ग्राम खुटियानी हार तहसील जौरा, जिला मुरैना (मध्यप्रदेश) ।
५- रामनरेश पुत्र रामेश्वर निवसी ग्राम हड़वांसी, तहसील जौरा जिला मुरैना-म०प्र०

------ प्रार्थीगण

विरुद्ध

१- पुनीतराम पुत्र स्व० श्री राधीन शर्मा, निवासी ग्राम हड़वांसी, तहसील जौरा, जिला मुरैना (मध्यप्रदेश) ।

----- असल प्रतिप्रार्थी

२- विनोद पुत्र वीरेन्द्र, निवासी ग्राम हड़वांसी, तहसील जौरा, जिला मुरैना (मध्यप्रदेश) ।

---- तरतीबी प्रतिप्रार्थी

23307049
१५/७/१९

विविध आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा ८ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ द्वारा यथोचित शक्तियों से प्रयोग हेतु विरुद्ध आदेश एस०डी०ओ० महोदय, मुरैना दिनांक ३१-०५-१९। प्र०क्र० ७। ३३-१४ अपील-माल ।

श्रीमान् जी,

प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

क्रमशः--२

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध.0801/2019/मुरैना/भू.रा. जिला-मुरैना

श्रीमती ऊषा विरूद्ध पुनीत राम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-08-19	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया । आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के प्रकरण क्रमांक 07/2013-14/अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 31.05.2019 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा -8 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है । अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 31.05.2019 निम्नानुसार आदेश पारित किया है 'प्रकरण गिरदावरी में पेश । प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । प्रथमदृष्टया न्यायाहित में धारा-5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है । प्रकरण आवेदन पत्र 41नियम 27 सीपीसी पर तर्क हेतु । उभय पक्ष अभिभाषक सूचित हो। 28.06.2019 नियत की।' संहिता की धारा -8 में मण्डल को अपीलीय एवं पुनर्रीक्षण के संबंध में अधीक्षण शक्तियां प्रदान की गई हैं। आवेदक अभिभाषक द्वारा इस विविध आवेदन में तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं जिसके आधार पर इस प्रकरण में संहिता की धारा-8 की शक्तियों का प्रयोग किया जाए । अनुविभागीय अधिकारी ने प्रश्नाधीन आदेश में मात्र धारा-5 के आवेदन को स्वीकार किया और प्रकरण 41 नियम 27 सीपीसी के आवेदन पत्र तर्क हेतु नियत किया है। इस आदेश को कलेक्टर, के समक्ष निगरानी में भी चुनौती दी जा सकती है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध धारा -8 के अंतर्गत प्रस्तुत विविध आवेदन सुनवाई हेतु ग्राह्य करने के आधार न होने से अग्राह्य की जाती है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (जे0के0 जैन) सदस्य	